

अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड उचित व्यवहार संहिता

Disclaimer

"This document is a translation of the original English document. It has been prepared in good faith and is provided solely for the convenience of the reader to familiarize them with the original content. While efforts have been made to provide a helpful translation, the company assumes no liability or responsibility for any errors, omissions, or inaccuracies in the translated text. If a strict, legal, or precise interpretation of the text is required, readers are strongly advised to independently obtain an official, certified translation. In the event of any discrepancy or conflict between this translated version and the original English document, the original English text remains the sole authoritative and valid version."

"यह दस्तावेज़ मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ का एक अनुवाद है। इसे पूरी नीयत और सावधानी के साथ तैयार किया गया है और केवल पाठक की सुविधा के लिए दिया गया है, ताकि वे मूल सामग्री को आसानी से समझ सकें। हालाँकि, अनुवाद को उपयोगी बनाने की पूरी कोशिश की गई है, फिर भी कंपनी इस अनुवाद में किसी भी प्रकार की गलती, छूट या असंगति के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। यदि किसी पाठ की सख्त, कानूनी या बिल्कुल सटीक व्याख्या की आवश्यकता हो, तो पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं किसी आधिकारिक और प्रमाणित अनुवाद की व्यवस्था करें। यदि इस अनुवादित संस्करण और मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ के बीच किसी भी प्रकार का अंतर या विवाद पाया जाता है, तो मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ ही एकमात्र मान्य और प्रभावी माना जाएगा।"

“यदि किसी भी समय इस नीति और आरबीआई द्वारा जारी किसी विनियमन, नियम, दिशानिर्देश, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, परिपत्र, मास्टर परिपत्र/निर्देशों के बीच व्याख्या/सूचना का टकराव उत्पन्न होता है, तो आरबीआई द्वारा जारी ऐसे विनियमन, नियम, दिशानिर्देश, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, परिपत्र, मास्टर निर्देशों की व्याख्या मान्य होगी।

विषयवस्तु

| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ सं. |
|-------------|--|-----------|
| 1 | परिचय | 3 |
| 2 | संहिता के उद्देश्य | 3 |
| 3 | कोड का अनुप्रयोग | 4 |
| 4 | कंपनी की प्रमुख प्रतिबद्धताएँ | 4 |
| 5 | ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रोसेसिंग | 4 |
| 6 | ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें | 5 |
| 7 | ऋण एवं अग्रिम के लिए मुख्य तथ्य विवरण | 5 |
| 8 | ऋण के पूर्व भुगतान पर लगने वाले शुल्क | 6 |
| 9 | ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क | 7 |
| 10 | नियमों और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋण का संवितरण | 8 |
| 11 | संवितरण के बाद की प्रथाएँ | 9 |
| 12 | जिम्मेदार ऋण आचरण – व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/ सेटलमेंट पर चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी करना | 9 |
| 13 | समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर को पुनः निर्धारित करना | 10 |
| 14 | बकाया राशि का संग्रह | 11 |
| 15 | कंपनी के प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (DSA), प्रत्यक्ष मार्केटिंग एजेंट (DMA) और रिकवरी एजेंट की जिम्मेदारियाँ | 11 |
| 16 | शिकायत निवारण तंत्र | 12 |
| 17 | सामान्य | 14 |
| 18 | ब्याज दरें, प्रसंस्करण और अन्य शुल्क निर्धारित करने की नीति | 15 |
| 19 | शारीरिक/दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए ऋण सुविधाएं | 15 |
| | अनुलग्नक ए – ऋण बकाया राशि की वसूली के लिए आचार संहिता | 16 |
| | अनुलग्नक बी – डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों से प्राप्त ऋण के लिए विवेकपूर्ण उपाय | 18 |

1. परिचय:

अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी" या "अवांसे") एक गैर-जमा लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी है जो भारत और विदेश में व्यावसायिक, डिजिटल और उच्च शिक्षा अध्ययन के इच्छुक छात्रों को ऋण प्रदान करती है, और शिक्षा संस्थानों (कॉलेजों, स्कूलों सहित) को उनके शिक्षा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण भी प्रदान करती है। संगठन अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं को स्थापित करने के लिए RBI द्वारा निर्धारित नीति दिशानिर्देशों की समीक्षा और पालन करने का प्रयास करता है। इसके अनुसार, इस उचित व्यवहार संहिता को ("FPC" या "कोड") भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीज़ – रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट) निर्देश, 2025 ("निर्देश"), भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट सुविधाएँ) निर्देश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2025 के अनुसार संशोधित किया गया है।

साथ ही, कंपनी डिजिटल लेंडिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की सदस्य है, जिसके तहत कंपनी को उपरोक्त एसोसिएशन द्वारा परिभाषित आचार संहिता बनाए रखना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त निर्देशों के अनुपालन में, इस संहिता को समय-समय पर कंपनी के बोर्ड द्वारा तैयार, अनुमोदित और समीक्षा की गई है। कंपनी हर समय सर्वोत्तम व्यवसाय और ग्राहक सेवा प्रथाओं को अपनाएगी और इस संहिता में आवश्यकतानुसार उचित संशोधन करेगी।

कंपनी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस FPC का कार्यान्वयन पूरे संगठन और उसके कर्मचारियों की जिम्मेदारी बन जाए। उचित ऋण प्रथाएँ मार्केटिंग, ऋण उत्पत्ति, प्रसंस्करण और सेवा और संग्रह गतिविधियों सहित इसके संपूर्ण व्यावसायिक संचालन पर लागू होंगी। FPC के प्रति इसकी प्रतिबद्धता कर्मचारी जवाबदेही, प्रशिक्षण, परामर्श, निगरानी, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, आंतरिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहानुभूति के संदर्भ में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, हम अपने ग्राहकों की उनके व्यक्तिगत डेटा के लिए गोपनीयता और गोपनीयता की आवश्यकता के प्रति सजग रहेंगे।

ध्यान दें: इस निर्देश के चैप्टर III के सेक्शन D और F में **इस्तेमाल किए गए 'पर्सनल लोन' शब्द** का वही मतलब होगा जो 04 जनवरी, 2018 के XBRL रिटर्न्स – बैंकिंग आंकड़ों के समन्वय में बताया गया है, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।

2. संहिता के उद्देश्य:

- ग्राहक के साथ व्यवहार में न्यूनतम सेवा मानक निर्धारित करके अच्छे और उचित व्यवहार को बढ़ावा देना;
- पारदर्शिता बढ़ाना ताकि ग्राहक को इस बात की बेहतर समझ हो सके कि वे कंपनी की सेवाओं से क्या उचित अपेक्षा कर सकते हैं;
- प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बाजार की शक्तियों को उच्च परिचालन सेवा मानक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना; और
- ग्राहक के साथ निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना।

3. कोड का अनुप्रयोग:

- यह संहिता कंपनी द्वारा काउंटर पर, फोन पर, डाक द्वारा, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, इंटरनेट पर या किसी अन्य तरीके से प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होगी। यह संहिता उस स्थिति में भी लागू होगी जब कंपनी आउटसोर्स डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देती है (अनुलग्नक बी देखें)।
- यह संहिता हमारे सभी ग्राहकों पर लागू होगी (जिसमें संदर्भ के अनुसार संभावित ग्राहक, ऐसे ग्राहक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने हमारे पास ऋण के लिए आवेदन किया है लेकिन ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं हुआ है, इसके अलावा वे ग्राहक भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें कंपनी से ऋण राशि प्राप्त हुई है)।

4. कंपनी की प्रमुख प्रतिबद्धताएँ:

- कंपनी हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार में निष्पक्ष और उचित व्यवहार करेगी।
- कंपनी किसी भी उत्पाद और सेवा की मांग करते समय सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करेगी और इस संहिता में दिए गए मानकों को पूरा करेगी।
- कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विज्ञापन और प्रचार सामग्री स्पष्ट हो और भ्रामक न हो।
- कंपनी संचार में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और ऋण दस्तावेज़ में या अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरों, शुल्क और प्रभारों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
- कंपनी समय-समय पर ग्राहक से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद तीसरे पक्ष के उत्पादों/सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में जानकारी सहित उनके द्वारा प्राप्त उत्पादों/सेवाओं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में ग्राहक को सूचित कर सकती है।
- कंपनी संहिता के अनुरूप अपनी प्रत्यक्ष बिक्री एजेंसियों (डीएसए)/प्रत्यक्ष बिक्री टीमों (डीएसटी)/टेली कॉलर्स/रिकवरी एजेंट्स के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी आचार संहिता लागू करेगी।
- कंपनी हमेशा ग्राहक द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता को बनाए रखेगी।

5. ऋण के लिए आवेदन एवं उनकी प्रक्रिया:

- ऋण प्राप्त करते समय, एवांसे ऋण उत्पाद के लिए वार्षिक ब्याज दर (आरओआई) की सांकेतिक सीमा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही आरओआई की गणना करने की विधि (अर्थात् ऋण और जोखिम के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक), पूर्व-भुगतान विकल्प, शुल्क, वित्तीय शुल्क और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, और कोई अन्य मामला जो ग्राहक के हित को प्रभावित करता है, ताकि अन्य ऋणदाताओं के साथ सार्थक तुलना की जा सके और ग्राहक द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सके।
- ऋण आवेदन पत्र में आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची होगी।
- सभी मामलों में पूर्ण किए गए प्रत्येक ऋण आवेदन को हमारे शाखा कार्यालयों और अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाएगा। सभी मामलों में पूर्ण किए गए ऋण आवेदनों के निपटान के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) ग्राहक से उसके ऋण आवेदन को संसाधित / मूल्यांकन करने के लिए अंतिम चरण की जानकारी / डेटा प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन होगा। ऋण आवेदनों के निपटान की समय सीमा ग्राहक को बताई जाएगी।

d) ग्राहक के साथ सभी संचार अंग्रेजी या ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे।

6. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

- एक मानक प्रक्रिया के रूप में, आवेदन पर कार्रवाई के लिए आवश्यक सभी जानकारी ऋण आवेदन के समय ही एकत्र की जाएगी। यदि ऋण और जोखिम मूल्यांकन के लिए किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो ग्राहक से तुरंत संपर्क किया जाएगा।
- कंपनी ग्राहक की ऋण पात्रता पर उचित परिश्रम करेगी, जो आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होगा। मूल्यांकन कंपनी की ऋण नीतियों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा।
- आरओआई और जोखिम के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण तथा विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों से अलग-अलग आरओआई वसूलने के मापदंडों का खुलासा ग्राहकों को ऋण आवेदन और स्वीकृति के चरण में तथा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा।
- कंपनी ग्राहक को अंग्रेजी या ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित रूप में स्वीकृत ऋण के साथ-साथ उसके नियम व शर्तें, जिसमें वार्षिक आरओआई, आवेदन की विधि, ईएमआई संरचना और कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, शामिल है, की जानकारी देगी।
- कंपनी ग्राहक द्वारा इन सभी नियमों और शर्तों की लिखित स्वीकृति को अपने रिकॉर्ड में रखेगी। दंडात्मक/डिफॉल्ट शुल्क, देर से भुगतान शुल्क या देर से पुनर्भुगतान के लिए लगाए जाने वाले दंड को बोल्ड अक्षरों में हाइलाइट किया जाएगा ताकि ग्राहकों को आवधिक किशतों के भुगतान में देरी और/या ऋण समझौते और स्वीकृति पत्र की शर्तों के किसी भी उल्लंघन के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।
- कंपनी ग्राहक को ऋण स्वीकृति/वितरण के समय ऋण समझौते की एक कॉपी, जैसी ग्राहक द्वारा समझी गई हो, तथा ऋण समझौते में उल्लिखित सभी संलग्न दस्तावेजों की एक-एक कॉपी प्रदान करेगी।

7. ऋण एवं अग्रिम के लिए की फ़ैक्ट्स स्टेटमेंट ("KFS"):

a. कंपनी सभी संभावित उधारकर्ताओं को KFS प्रदान करेगी, ताकि वे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सूचित फैसले ले सकें। यह KFS दिशा-निर्देश के अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाएगा। KFS अंग्रेजी में या किसी ऐसी भाषा में लिखी जाएगी जिसे उधारकर्ता समझते हों। KFS की सामग्री उधारकर्ता को समझाई जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी स्वीकृति ली जाएगी कि उन्होंने इसे समझ लिया है।

b. KFS को एक विशिष्ट प्रपोज़ल नंबर दिया जाएगा और इसकी वैधता 7 दिन या उससे ज़्यादा अवधि वाले लोन के लिए कम से कम 3 कार्यदिवस होगी, और 7 दिन से कम अवधि वाले लोन के लिए वैधता 1 कार्यदिवस होगी।

व्याख्या: वैधता अवधि उस अवधि को दर्शाती है, जो उधारकर्ता को KFS कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने के बाद, ऋण की शर्तों को स्वीकार करने के लिए उपलब्ध होती है। यदि उधारकर्ता इस अवधि के अंदर KFS में दर्शाई गई शर्तों को स्वीकार करता है, तो कंपनी उस अवधि में उल्लिखित ऋण शर्तों के लिए बाध्य होगी।

c. KFS में वार्षिक प्रतिशत दर (APR) की गणना पत्रक और ऋण की अवधि के अनुसार ऋण का चुकौती शेड्यूल भी शामिल होगा। APR में कंपनी द्वारा लगाए गए सभी शुल्क सम्मिलित होंगे।

d. कंपनी द्वारा उधारकर्ताओं से थर्ड-पार्टी सर्विस प्रदाताओं की ओर से वास्तविक आधार पर रिकवर किए जाने वाले शुल्क, जैसे बीमा शुल्क कानूनी शुल्क आदि, भी **APR** का हिस्सा होंगे और उन्हें अलग से दिखाया जाएगा। जहाँ भी कंपनी ऐसे शुल्क रिकवर करने में शामिल होगी, हर भुगतान के लिए रसीदें और संबंधित दस्तावेज़ उधारकर्ता को उचित समय के अंदर प्रदान किए जाएंगे।

e. KFS में उल्लिखित न होने वाले किसी भी शुल्क, फ़ीस, आदि को कंपनी उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना, ऋण की अवधि के किसी भी चरण में उधारकर्ता से रिकवर नहीं कर सकती।

f. KFS को ऋण समझौते का हिस्सा बनाते हुए एक संक्षिप्त सारांश बॉक्स के रूप में भी शामिल किया जाएगा।

8. ऋण पर पूर्व-भुगतान शुल्क:

a. 1 दिसंबर, 2025 तक स्वीकृत या नवीनीकृत मौजूदा ऋणों के मामले में, कंपनी किसी भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगी, यदि वह ऋण बिज़नेस के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान किया गया हो, चाहे सह-उधारकर्ता (उधारकर्ताओ) हों या न हों।

b. कंपनी 1 जनवरी, 2026 या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत ऋणों और अग्रिमों (अवधि ऋण और मांग आधारित ऋण दोनों) पर पूर्व-भुगतान शुल्क लगाने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेगी:

(1) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को बिज़नेस के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए सभी फ्लोटिंग रेट ऋण पर, चाहे सह-उधारकर्ता हों या न हों, कंपनी पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगी।

(2) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs), जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED), 2006 में परिभाषित है, को बिज़नेस के उद्देश्य से प्रदान किए गए सभी फ्लोटिंग रेट ऋण पर, चाहे सह-उधारकर्ता हों या न हों, कंपनी उन लोन पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगी जिनकी स्वीकृत राशि/सीमा ₹50 लाख तक हो।

(3) उपरोक्त दिशा-निर्देश लोन के पूर्व-भुगतान के लिए प्रयुक्त फंड के स्रोत की परवाह किए बिना लागू होंगे, चाहे पूर्व-भुगतान आंशिक हो या पूरा, और किसी न्यूनतम लॉक-इन अवधि की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) दोहरी/विशेष दर वाले लोन (जो निश्चित और फ्लोटिंग रेट का संयोजन हैं) पर उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व-भुगतान के समय ऋण फ्लोटिंग रेट पर है या नहीं।

(5) उपरोक्त पैराग्राफ 8(b)(1) और 8(b)(2) में उल्लिखित मामलों के अलावा, अगर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क लगाया जाता है, तो वह कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। हालाँकि, अवधि ऋण के मामले में, अगर कंपनी पूर्व-भुगतान शुल्क लगाती है, तो यह पूर्व-भुगतान की जा रही राशि के आधार पर होगा।

(6) जहाँ पूर्व-भुगतान कंपनी के अनुरोध पर किया जाता है, वहाँ कंपनी कोई शुल्क नहीं लगाएगी।

(7) पूर्व-भुगतान शुल्क लागू होंगे या नहीं, यह स्पष्ट रूप से ऋण स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते में दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन ऋणों और अग्रिमों के लिए KFS प्रदान किया जाना है, उनमें यह जानकारी KFS में भी उल्लेखित होगी। यहाँ निर्दिष्ट न किए गए किसी भी पूर्व-भुगतान शुल्क को कंपनी उधारकर्ता से रिकवर नहीं कर सकती।

(8) कंपनी किसी भी ऐसे शुल्क/फीस को पूर्व-भुगतान के समय पीछे से नहीं लगाएगी, जिसे पहले कंपनी द्वारा माफ कर दिया गया हो।

9. ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क:

(1) यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' माना जाएगा और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जिसे अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, यानी ऐसे शुल्कों पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा। हालाँकि, यह ऋण खाते में ब्याज के चक्रवृद्धि के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा। अतः कंपनी बकाया ब्याज पर, (जिसमें बकाया EMI भी शामिल है) सुधार की तिथि तक अनुबंधित ब्याज दर के अनुसार ब्याज वसूल सकती है, न कि दंडात्मक ब्याज दर के अनुसार।

ध्यान दें:

i. प्रमुख शर्तें और नियम कंपनी की क्रेडिट नीति के अनुसार परिभाषित किए जाएंगे।

ii. ग्राहक द्वारा ऋण चुकौती में डिफॉल्ट भी ऋण चुकौती की प्रमुख शर्तों और नियमों के उल्लंघन का एक प्रकार है। ऐसी डिफॉल्ट पर अगर दंड लगाया जाता है, तो वह सिर्फ दंडात्मक शुल्क के रूप में होगा, न कि दंडात्मक ब्याज के रूप में। ये शुल्क सिर्फ डिफॉल्ट राशि पर लगाए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित दंडात्मक ब्याज दर नीति के अनुसार समान रूप से लागू होंगे।

iii. पूर्व में बकाया दंडात्मक शुल्क पर अतिरिक्त/नई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाए जा सकते।

iv. कंपनी दंडात्मक शुल्क पर GST की लागूता के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी निर्देशों और स्पष्टीकरणों, अगर कोई हों, का पालन करेगी।

(2) कंपनी ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक नहीं जोड़ेगी और कंपनी इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(3) कंपनी ऋणों पर दंडात्मक शुल्क या समान शुल्कों पर मौजूदा बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर नीति तैयार करिं होगी।

(4) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी तथा किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध की शर्तों और नियमों के गैर-अनुपालन के अनुरूप होगी।

ध्यान दें:

(i) दंडात्मक शुल्क समान उत्पाद श्रेणी के अंदर ऋण की राशि के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, और कंपनी उपयुक्त दंडात्मक शुल्क संरचना अपना सकती है, बशर्ते उपरोक्त नियमों का पालन किया जाए। किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के अंदर दंडात्मक शुल्क की संरचना उधारकर्ता की संरचना से स्वतंत्र रूप से समान होगी।

ii) हालाँकि दंडात्मक शुल्क के लिए कोई अधिकतम सीमा /कैप तय नहीं की गई है, लेकिन कंपनी यह सुनिश्चित करे कि दंडात्मक शुल्क पर मौजूदा ब्याज दर नीति को अपडेट करते समय, दंडात्मक शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं में ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और इसका उपयोग राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

(5) 'व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं' को स्वीकृत ऋणों के मामले में दंडात्मक प्रभार, भौतिक नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक प्रभारों से अधिक नहीं होंगे।

(6) दंडात्मक प्रभारों की मात्रा और कारण कंपनी द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा ब्याज दरों और सेवा शुल्क के तहत कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। सिर्फ ऋण स्वीकृति पत्र /KFS और ऋण समझौते में कंपनी की वेबसाइट पर दिख रही दंडात्मक शुल्क की सूची या ब्याज दर और सेवा शुल्क का संदर्भ देना पर्याप्त नहीं होगा।

(7) जब भी ऋण की शर्तों और नियमों का पालन न करने के लिए उधारकर्ताओं को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक शुल्कों के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, दंडात्मक शुल्क लगाए जाने के किसी भी मामले और उसके कारण के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में बदलाव अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा।

10. नियमों और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋण का संवितरण:

- संवितरण, ऋण अनुबंध/स्वीकृति पत्र के अनुसार ग्राहक के साथ सहमत संवितरण अनुसूची और/या शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- कंपनी संवितरण अनुसूची, आरओआई, सेवा शुल्क, पूर्व-भुगतान शुल्क, अन्य लागू शुल्क/शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में ग्राहक को अंग्रेजी या ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस देगी। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि आरओआई और शुल्क में परिवर्तन केवल ग्राहक को पूर्व सूचना के साथ ही प्रभावी हो। इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त ऋण समझौते में शामिल की जाएगी।
- कंपनी ग्राहक को धनराशि के वास्तविक संवितरण की तारीख से ब्याज वसूल करेगी।
- माह के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कंपनी केवल उस अवधि के लिए ब्याज लेगी, जिसके लिए ऋण बकाया था।
- यदि कंपनी एक या एक से अधिक किश्तें अग्रिम रूप से वसूल रही है, तो वह ब्याज लगाने के लिए पूरी ऋण राशि की गणना नहीं करेगी।

11. संवितरण के बाद की प्रथाएँ:

- ऋण समझौते के तहत भुगतान वापस लेने/तेजी लाने या अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ मांगने का कोई भी निर्णय, ऋण समझौते के अनुरूप ग्राहक को नोटिस देने के बाद लिया जाएगा।
- कंपनी सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर सभी प्रतिभूतियों/संपार्श्विक को छोड़ देगी, बशर्ते कि कंपनी के पास ग्राहक के खिलाफ किसी अन्य दावे के लिए कोई वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार हो। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो ग्राहक को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूरी जानकारी के साथ इसके बारे में नोटिस दिया जाएगा, जिनके तहत कंपनी प्रासंगिक दावे के निपटारे/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।

- 12. जिम्मेदार उधर आचरण - वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज मुक्त करना**
कंपनी भविष्य में ग्राहकों की शिकायतों और विवादों से बचने के लिए पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और ऋण खाता बंद करने पर चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी करने में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगी।
उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने और जिम्मेदार ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

A. चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों की मुक्त करना:

- (i) कंपनी ऋण खाते की पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एनबीएफसी द्वारा सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करेगी और किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत चार्ज को हटा देगी।
- (ii) उधारकर्ता को अपनी पसंद के अनुसार, मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेज या तो बैंकिंग आउटलेट/शाखा से, जहां ऋण खता संचालित किया गया था, या एनबीएफसी के किसी अन्य कार्यालय से, जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, प्राप्त करने (वापस लेने) का विकल्प दिया जाएगा।
- (iii) 1 दिसंबर, 2023 को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समय-सीमा और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।
- (iv) एकमात्र उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ताओं की मृत्यु की आकस्मिक घटना से निपटने के लिए, एनबीएफसी के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों की वापसी के लिए एनबीएफसी के पास एक सुपरिभाषित निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को ग्राहक जानकारी के लिए अन्य सामान नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ एनबीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

B. चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को मुक्त करने में देरी के लिए मुआवजा:

- (i) ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों के भीतर मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त करने में या सम्बंधित रजिस्ट्री के साथ चार्ज संतुष्टि फॉर्म दाखिल करणमें विफल रहने के मामले में, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को इस तरह की देरी के कारणों के बारे में बताया जायेगा। ऐसे मामले में जहां देरी आ आरई के कारण होती है, तब एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000/- की दर मुआवजा दिया जायेगा।
- (ii) मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों के आंशिक या पूर्ण रूप से खो जाने/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, कंपनी उधारकर्ता को चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेगी और उपरोक्त पैरा (ii) में बताए अनुसार मुआवजेका भुगतान करने के अलावा संबंधित लागतों को वहन करेगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, एनबीएफसी को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के दंड की गणना उसके बाद की जाएगी (यानी, कुल 60 दिनों की अवधि के बाद)।
- (iii) इन निर्देशों के तहत प्रदान किया गया मुआवजा किसी भी लागू कानून के अनुसार किसी अन्य मुआवजे को प्राप्त करने के उधारकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

- 13. समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर अस्थायी (फ्लोटिंग) दर को पुनः निर्धारित करना**

- (1) ईएमआई आधारित अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों की स्वीकृति प्रदान करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की ऋण की अवधि के दौरान बहरी बेंचमार्क दर में संभावित वृद्धि के परिदृश्य में अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरूम/मार्जिन उपलब्ध है।

कंपनी ने कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त नीति ढांचा तैयार किया है:

- (i) मंजूरी के समय, कंपनी उधारकर्ताओं को ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में परिवर्तन के संभावित प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगी, जिससे ईएमआई और/या अवधि या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद, उपरोक्त के

कारण ईएमआई/अवधि या दोनों में किसी भी वृद्धि के बारे में उधारकर्ता को उचित चैनलों के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाएगा।

(ii) ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय, कंपनी उधारकर्ताओं को अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करेगी। नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि ऋण की अवधि के दौरान उधारकर्ता को कितनी बार स्विच करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) उधारकर्ताओं को (I) ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के संयोजन का विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा; और (II) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। पुरोबंध शुल्क/पूर्व भुगतान दंड का शुल्क वर्तमान निर्देशों के अधीन होगा।

ध्यान देने योग्य:

जब किसी विशेष ऋण श्रेणी में पूरे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर रीसेट की जाती है, जो संदर्भ बेंचमार्क में वृद्धि के कारण होती है, तो NBFC उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विकल्प प्रदान करेगी:

(i) EMI में बढ़ोतरी या EMI की संख्या बढ़ाना, या EMI को अपरिवर्तित रखते हुए संख्या बढ़ाना, या इन दोनों विकल्पों का संयोजन;

(ii) बचे हुए ऋण के लिए निश्चित ब्याज दर में परिवर्तन करना, अगर बैंक ऐसा विकल्प प्रदान करता है;

(iii) ऋण की शेष अवधि में किसी भी समय आंशिक या पूरा पूर्व-भुगतान करना।

(iv) ऋणों को अस्थायी दर से निश्चित दर पर स्विच करने के लिए सभी लागू शुल्क और उपरोक्त विकल्पों के प्रयोग से संबंधित किसी भी अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत को मंजूरी पत्र में पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाएगा और कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे शुल्कों/लागतों के संशोधन के समय भी इसका खुलासा किया जाएगा। लागू होने वाले शुल्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित होंगे और कंपनी की वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे।

(v) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निश्चित दर लोन के मामले में अवधि के विस्तार के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिशोधन (निगेटिव अमॉर्टिजेशन) न हो।

(vi) कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में उचित माध्यमों से उधारकर्ताओं को एक विवरण साझा करेगी/उपलब्ध कराएगी, जिसमें कम से कम आज तक वसूले गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या और ऋण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर/वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गढ़ना होगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि विवरण सरल हों और उधारकर्ता को आसानी से समझ में आ जाएँ।

(2) समान मासिक किस्त ऋणों के अलावा, ये निर्देश समान रूप से अलग-अलग आवृत्तियों वाले सभी किस्त-आधारित ऋणों पर भी लागू होंगे, चाहे वे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हों या आंतरिक बेंचमार्क से। उपरोक्त पैराग्राफ 1 में दिए गए निर्देश अन्य प्रकार के ऋणों पर लागू नहीं होंगे। बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों के मामले में, कंपनी उचित सूचना प्रणाली स्थापित करेगी ताकि बेंचमार्क दर में बदलाव के प्रभाव को लेंडिंग की दर में समुचित रूप से ट्रैक किया जा सके।

14. बकाया राशि का संग्रहण:

a) ग्राहक को ऋण देते समय एवांसे ग्राहक को किस्त राशि, अवधि, बाउंस शुल्क, दंडात्मक ब्याज, दंडात्मक शुल्क और पुनर्भुगतान की आवश्यकता सहित पुनर्भुगतान प्रक्रिया के बारे में बताएगा। हालांकि, यदि ग्राहक पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं करता है, तो ऋण बकाया की वसूली के लिए देश के कानूनों के अनुसार एक परिभाषित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में ग्राहक को नोटिस भेजकर या व्यक्तिगत रूप से जाकर याद दिलाना और/या यदि कोई हो तो सुरक्षा वापस लेना शामिल होगा।

b) इसके अतिरिक्त, सुरक्षा हित लागू करने और/या संपत्ति संपार्श्विक के पुनः कब्जे के लिए नियम और शर्तें ऋण या सुरक्षा संबंधी दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उक्त शर्तों में

निम्नलिखित के बारे में बताया जाएगा: (क) कब्ज़ा लेने से पहले नोटिस अवधि; (ख) परिस्थितियाँ जिसके तहत नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है; (ग) सुरक्षा का कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया; (घ) संपत्ति की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण चुकाने के लिए ग्राहक को दिया जाने वाला अंतिम अवसर; (ङ) ग्राहक को पुनः कब्ज़ा देने की प्रक्रिया; और (च) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया।

c) उपरोक्त के अनुरूप, एक आचार संहिता प्रदान की गई है, जिसका पालन कंपनी के अधिकृत कर्मियों या उसके एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से देय राशि की वसूली/रिकवरी के दौरान किया जाना अनिवार्य होगा। यह आचार संहिता अनुलग्नक A में दी गई है।

15. कंपनी के डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट्स (DSA) / प्रत्यक्ष मार्केटिंग एजेंट्स (DMA) / रिकवरी एजेंट्स की जिम्मेदारियाँ:

- a) कंपनी यह पक्का करेगी कि DSA / DMA / रिकवरी एजेंट्स को अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी और संवेदनशीलता से संभालने के लिए ठीक से ट्रेनिंग दी जाए, खासकर ग्राहकों से संपर्क करना, कॉल करने का समय, ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता और पेश किए जा रहे उत्पाद के सही नियम और शर्तें बताना, वगैरह।
- b) कंपनी DSA / DMA / रिकवरी एजेंट्स से यह सुनिश्चित करेगी कि वे व्यवहार संहिता का पालन करने का वचन देंगे। इसके अलावा, रिकवरी एजेंट्स कंपनी के FPC के वर्तमान निर्देशों और अपनी आचार संहिता का पालन करेंगे, जो देय राशि रिकवर करने और सुरक्षा संपत्ति की पुनःप्राप्ति के लिए है। रिकवरी एजेंट्स ऐसे किसी भी कार्य से बचेंगे जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुँच सकता है और वे ग्राहक की गोपनीयता का सख्त पालन करेंगे।
- c) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह या उसके एजेंट सिर्फ़ वही तरीके अपनाएँगे जो कानूनी और वैध रूप से उपलब्ध हैं, और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार के धमकाने या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे, चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक। इसमें शामिल हैं: सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उधारकर्ताओं के परिवार के सदस्य, संदर्भदाता (Referees) और मित्रों की गोपनीयता में दखल देना, मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनुचित संदेश भेजना, धमकाने वाली और/या गुमनाम कॉल करना, उधारकर्ता को लगातार कॉल करना और/या 8:00 बजे से पहले और 7:00 बजे के बाद कॉल करना, गलत और भ्रामक जानकारी देना, और ऋण वसूली के लिए शारीरिक बल का उपयोग करना आदि। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्टाफ ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो।
- d) कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:
 - (1) कंपनी ऐसे टेलीमार्केटर्स (DSA / DMA) को नहीं लगाएगी जिनके पास भारत सरकार के DoT से मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, और केवल उन्हीं टेलीमार्केटर्स को लगाएगी जो समय-समय पर TRAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत हैं, सभी प्रचार / टेलीमार्केटिंग गतिविधियों के लिए।
 - (2) TRAI को उन टेलीमार्केटर्स (DSA / DMA) की सूची उपलब्ध कराना जिनको कंपनी ने नियुक्त किया है, साथ ही उनके पंजीकृत टेलीफोन नंबर जो वे टेलीमार्केटिंग कॉल करने के लिए उपयोग कर रहे हैं; और
 - (3) सुनिश्चित करें कि वर्तमान में लगे सभी एजेंट खुद को टेलीमार्केटर के रूप में DoT के साथ पंजीकृत कराएँ।

16. निदेशक मंडल का दायित्व

कंपनी ने इस संबंध में उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए संगठन के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों की सुनवाई की जाए और अगले उच्च स्तर पर उनका निपटारा किया जाए।

निदेशक मंडल समय-समय पर निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की समीक्षा भी करेगा। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

बेहतर सेवाएँ कंपनियों को ग्राहक अधिग्रहण, प्रतिधारण और सेवा दक्षता को बढ़ाने में मदद करती हैं। उक्त दर्शन के अनुरूप, कंपनी ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए चार (4) स्तरीय दृष्टिकोण का पालन करती है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

1. स्तर 1:

(a) किसी भी सेवा अनुरोध/शिकायत के मामले में, ग्राहक नीचे उल्लिखित किसी भी संपर्क बिंदु पर ग्राहक संपर्क टीम से संपर्क कर सकता है:

- **ईमेल:** wecare@avanse.com
- **भारत से कॉल करने वाले ग्राहकों के लिए टोल फ्री नंबर:** 1800-266-0200
- **विदेश से कॉल करने वाले ग्राहकों के लिए संपर्क नंबर:** (+91) 22-6680 6464
- **नीचे उल्लिखित विवरण के लिए लिखित अनुरोध:**

अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
ई विंग, चौथी मंजिल,
टाइम्स स्क्वायर, अंधेरी कुर्ला रोड,
गामदेवी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 059, महाराष्ट्र।

- (a) सेवा अनुरोध/शिकायत प्राप्त होने पर, हम ग्राहक को ई-मेल/डाक द्वारा पत्र/एसएमएस/व्हाट्सएप सहित कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप के माध्यम से 2 कार्य दिवसों के भीतर एक पावती देंगे। इस स्तर पर, यदि कंपनी पर्याप्त रूप से जांच करने और समस्या की जांच करने में सक्षम है, तो वह 14 दिनों की अवधि के भीतर इसका जवाब देने का प्रयास करेगी।
- (b) हालांकि, ऐसे मामले में जहां शिकायत के लिए व्यापक जांच और/या अपराधी की पहचान करने के लिए ग्राहक के सहयोग की आवश्यकता हो, मूल कारण का विश्लेषण हो, या मुकदमा चल रहा हो (स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास लंबित मामलों सहित), ऐसी शिकायतों का जवाब देने और समाधान करने के लिए TAT का समय 14 दिनों से अधिक हो सकता है।
- (c) यदि ग्राहक उपरोक्त ग्राहक सहभागिता टीम/टीमों द्वारा प्रदान किए गए समाधान/प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक को नीचे दिए गए स्तर 2 पर ले जाया जाएगा।

2. स्तर 2

- (a) यह ध्यान दिया जा सकता है कि ग्राहकों को अपने सेवा अनुरोध/शिकायत के समाधान के लिए पहले स्तर 1 में उल्लिखित ग्राहक संपर्क टीम से संपर्क करना चाहिए, और यदि उनका अनुरोध/शिकायत 14 दिनों की अवधि के लिए अनसुलझा रहता है या वे दिए गए समाधान से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें कंपनी के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क करना होगा:

कृपया ध्यान दें: वरिष्ठ शिकायत निवारण प्रबंधक
एवनसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
ई विंग, चौथी मंजिल,
टाइम्स स्कायर, अंधेरी कुर्ला रोड,
गामदेवी, मरोल, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 059, महाराष्ट्र।
ईमेल: grievanceredressalcell@avanse.com
टेलीफोन: 1800-266-0200

3. स्तर 3 :

यदि ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से संपर्क कर सकता है:

कृपया ध्यान दें: श्री ग डी. पाटिल
शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)
एवंस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
ई विंग, चौथी मंजिल,
टाइम्स स्कायर, अंधेरी कुर्ला रोड,
गामदेवी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 059, महाराष्ट्र।
ईमेल: gro@avanse.com
टेलीफोन: 022- 6859 9999

हम इस स्तर पर ग्राहक की शिकायत को उसकी योग्यता के आधार पर हल करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

4. स्तर 4:

- A. यदि शिकायत का निवारण 30 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या यदि ग्राहक ऊपर वर्णित स्तर 3 पर प्राप्त समाधान से असंतुष्ट है, तो ग्राहक नीचे दी गई तालिका के बिंदु 3.1 (एनबीएफसी लोकपाल योजना की मुख्य विशेषताएं) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके सीएमएस पोर्टल या इलेक्ट्रॉनिक / भौतिक मोड के माध्यम से लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है:

| # | विवरण | लिंक पर क्लिक करें |
|-----|---|---|
| 3.1 | एनबीएफसी की मुख्य विशेषताएं लोकपाल योजना | https://www.avanse.com/grievance-redressal-mechanism#ombudsman-scheme |

| | | |
|-----|---|---|
| 3.2 | लोकपाल को शिकायत का प्रारूप | https://www.avanse.com/grievance-redressal-mechanism#ombudsman-scheme |
| 3.3 | अवांसे के नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण | https://www.avanse.com/ombudsman-scheme/nodal-officers-details |

B. यदि ग्राहक लोकपाल कार्यालय द्वारा लोकपाल के निर्णय या शिकायत की अस्वीकृति से व्यथित है, तो ग्राहक निर्णय या शिकायत की अस्वीकृति की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है-

कार्यकारी निदेशक
उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक।

17. सामान्य:

- कंपनी ऋण देने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
- कंपनी ऋण समझौते की शर्तों और नियमों में दिए गए उद्देश्यों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगी (जब तक कि उधारकर्ता द्वारा पहले से बताई गई कोई नई जानकारी कंपनी के संज्ञान में न आ जाए)।
- कंपनी सामान्य तौर पर ग्राहक या बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण खाते के हस्तांतरण के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी। ऐसे सभी अनुरोधों पर 21 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और ग्राहकों को आपत्तियों/अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के साथ सूचित किया जाएगा।
- ऋण रिकवरी के मामले में, कंपनी किसी भी प्रकार के अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी, जैसे कि उधारकर्ताओं को असामान्य समय पर लगातार परेशान करना, ऋण रिकवरी के लिए शारीरिक बल का उपयोग करना आदि। चूंकि ग्राहकों की शिकायतों में अक्सर कंपनी के कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार का भी उल्लेख होता है, इसलिए कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्टाफ ग्राहकों के साथ उचित और संवेदनशील तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो।
- कंपनी नियामक आवश्यकता के अनुरूप, सह-दायित्वधारक(ओं) के साथ या उसके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फौजदारी शुल्क/पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगी। 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या रिन्यू किए गए लोन (टर्म लोन के साथ-साथ डिमांड लोन सहित) और एडवांस के संबंध में एनबीएफसी, समय-समय पर संशोधित 02 जुलाई, 2025 को जारी किए गए अनुसार 'भारतीय रिजर्व बैंक (लोन पर पूर्व-भुगतान शुल्क) निर्देश, 2025' के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- ग्राहक की सभी व्यक्तिगत जानकारी और कंपनी के साथ लेन-देन से संबंधित जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, ग्राहक की पूर्व लिखित सहमति और/या कानून और विनियमों द्वारा अपेक्षित होने के अलावा किसी को भी इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
- कंपनी कोड को निम्नानुसार प्रचारित करेगी:

- मौजूदा और नए ग्राहकों को, जब भी अनुरोध किया जाए, इस संहिता की एक प्रति उपलब्ध कराना;
- कंपनी की वेबसाइट पर इस संहिता का खुलासा करना; और
- इस संहिता में उल्लिखित निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में ग्राहकों से मिलने वाले सभी कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना।

(h) कंपनी अपने व्यवसाय और विनियामक आवश्यकताओं के आधार पर इस संहिता की समय-समय पर समीक्षा करेगी।

(i) ग्राहक शिकायतों पर आवधिक रिपोर्ट (जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या और प्रकृति, शिकायतों की आयु, टीएटी का पालन, उन शिकायतों का मूल कारण विवरण जिसमें सेवा की कमियाँ पाई जाती हैं) नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल / लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

18. ब्याज दरें, प्रसंस्करण और अन्य शुल्क निर्धारित करने की नीति:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों से कंपनी द्वारा ऋण और अग्रिम पर अत्यधिक ब्याज दर और शुल्क नहीं लिया जाता है, कंपनी के बोर्ड ने ब्याज दरें, प्रसंस्करण और अन्य शुल्क निर्धारित करने के लिए एक नीति अपनाई है ("ब्याज दर नीति")। इसके अलावा कंपनी का बोर्ड ब्याज दरें, प्रसंस्करण और अन्य शुल्क निर्धारित करने के लिए उक्त नीति की समय-समय पर समीक्षा करेगा।

19. शारीरिक/दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए ऋण सुविधाएं:

कंपनी शारीरिक/दृष्टिबाधित आवेदकों को विकलांगता के आधार पर ऋण सुविधाओं सहित उत्पादों और सुविधाओं का विस्तार करने में भेदभाव नहीं करेगी। कंपनी की सभी शाखाएँ ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। कंपनी सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा गारंटीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से युक्त एक उपयुक्त मॉड्यूल शामिल करेगी। इसके अलावा, कंपनी शिकायत निवारण पद्धति के तहत विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करेगी।

अनुलग्नक-ए

ऋण बकाया की वसूली के लिए ग्राहक(ओं) के साथ किसी भी तरह से संपर्क करते समय कंपनी के सभी अधिकृत कर्मियों और उनके एजेंट्स द्वारा निम्नलिखित आचार संहिता का पालन किया जाएगा:

1. संग्रह के लिए आचार संहिता का संग्रह टीम के सभी कर्मचारियों और उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा पूरी लगन से पालन किया जाएगा।
2. ग्राहक विश्वास, दीर्घकालिक संबंध को बढ़ावा देना तथा ग्राहकों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना।
3. शिष्टता, निष्पक्ष व्यवहार और अनुनय वसूली का आधार होगा। बकाया राशि वसूलने में अनावश्यक रूप से दबावपूर्ण तरीके नहीं अपनाए जाएंगे।
4. प्रतिभूतियों के पुनर्ग्रहण, मूल्यांकन और प्राप्ति में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती जाएगी।
5. ग्राहकों से आमतौर पर उनकी पसंद के स्थान पर संपर्क किया जाएगा। किसी निर्दिष्ट स्थान के अभाव में, उनके निवास स्थान पर और यदि वे वहां उपलब्ध न हों, तो व्यवसाय/व्यवसाय के स्थान पर। बकाया राशि वसूलने के लिए ग्राहक के स्थान पर जाने के दौरान, शालीनता और शिष्टाचार बनाए रखा जाएगा।
6. अवांसे का प्रतिनिधित्व करने की पहचान और अधिकार ग्राहक(ओं) को पहली बार में ही बता दिया जाएगा।
7. ग्राहक(ओं) के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनसे बातचीत सभ्य तरीके से की जाएगी तथा वसूली के लिए किसी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. अधिकृत प्रतिनिधि ग्राहक से आमतौर पर सुबह 08:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच संपर्क करेंगे, जब तक कि ग्राहक के व्यवसाय/व्यवसाय की विशेष परिस्थितियों के कारण अन्यथा अपेक्षित न हो।
9. किसी विशेष समय/विशेष स्थान पर कॉल से बचने के ग्राहक के अनुरोध को, यथासंभव सम्मान दिया जाएगा।
10. ग्राहक को बकाया राशि के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक सूचना दी जाएगी।
11. प्रतिभूति पर पुनः कब्जा करने और उसकी वसूली से पहले उचित नोटिस दिया जाएगा।
12. हर समय, जहां तक संभव हो, बकाया राशि से संबंधित विवादों/मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और व्यवस्थित तरीके से हल करने का प्रयास करें।
13. परिवार में शोक या अन्य विपत्तिपूर्ण अवसरों जैसे अनुचित अवसरों पर कॉल/मुलाकात करने से बचना चाहिए।
14. ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता हर समय बनाए रखी जाएगी।
15. ऐसा आचरण जो आपराधिक धमकी या उत्पीड़न (मौखिक या शारीरिक) का संकेत देता हो, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों/परिवार के सदस्यों/मित्रों, रेफरी की गोपनीयता में दखल देने का इरादा शामिल है, सख्त वर्जित है।
16. मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनुचित संदेश न भेजें।

17. ग्राहक को किसी भी प्रकार का झूठा एवं भ्रामक विवरण नहीं देगा।
18. बकाया राशि के संग्रहण/वसूली के संबंध में सभी संचार केवल ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए संपर्क विवरण पर ही किए जाएंगे।
19. यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए कि वित्तीय लेन-देन के लिए नाबालिगों से संपर्क न किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बकाया राशि के संग्रह/वसूली से संबंधित संचार ग्राहकों/ऋण आवेदकों (यानी वयस्क होने वाले व्यक्ति) के साथ किया जाना चाहिए।
20. ऋणों की वसूली के मामले में, संग्रह दल या उसके अधिकृत प्रतिनिधि केवल उन्हीं उपायों का सहारा लेंगे जो कानूनी और वैध रूप से उनके लिए उपलब्ध हैं और ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, रेफरी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देने के इरादे से किए गए कार्य, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी भरे और/या गुमनाम कॉल करना, उधारकर्ता को लगातार कॉल करना और/या बकाया ऋणों की वसूली के लिए सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक प्रतिनिधित्व करना, और ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग नहीं करेंगे, आदि।

अनुलग्नक बी

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से प्राप्त ऋणों के लिए विवेकपूर्ण उपाय

- 1) कंपनी अपनी सार्वजनिक डोमेन में अपनी स्वयं की वेबसाइट बनाएगी, जिसे अप-टू-डेट रखा जाएगा। इस वेबसाइट पर, प्रमुख और एकल स्थान पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल लेंडिंग संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – क्रेडिट सुविधा) निर्देश, 2025, के चैप्टर III में निर्दिष्ट विवरण सहित अन्य आवश्यक जानकारी दिखाई जाएगी, ताकि इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके।
- 2) कंपनी सभी डिजिटल लेंडिंग उत्पादों के लिए मानकीकृत प्रारूप में अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्ता को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करेगी।
- 3) केएफएस में अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा वार्षिक प्रतिफल (एपीआर), वसूली तंत्र, डिजिटल लेंडिंग/ फिनटेक से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण तथा कूलिंग-ऑफ/ लुक-अप अवधि का विवरण शामिल होगा।
- 4) डिजिटल लेंडिंग देने वाला प्लेटफॉर्म ग्राहक को यह बताएगा कि वह कंपनी के साथ ऋण आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के लिए बातचीत कर रहा है। तदनुसार, ग्राहक संचार (जैसे स्वीकृति पत्र, संवितरण पुष्टि, ऋण समझौता और स्वागत पत्र/ई-मेल) भी ग्राहकों के ज्ञान के लिए कंपनी को ऋणदाता के रूप में पहचानेंगे और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करेंगे।
- 5) ऋण समझौता करने से पहले उधारकर्ता को कंपनी के लेटर हेड पर स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
- 6) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके डीएलए या उनके एलएसपी के डीएलए ऑन-बोर्डिंग/साइन-अप चरण में उत्पाद की विशेषताओं, ऋण सीमा और लागत आदि से संबंधित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि उधारकर्ताओं को इन पहलुओं के बारे में जानकारी हो सके।
- 7) उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ/अवधि के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल लेंडिंग से बाहर निकलने का स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। कूलिंग ऑफ अवधि कंपनी द्वारा अपनी क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित अवधि सात दिन या उससे अधिक अवधि वाले ऋणों के लिए तीन दिन से कम नहीं होगी और सात दिन से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक दिन से कम नहीं होगी। कूलिंग ऑफ जो उधारकर्ता कूलिंग ऑफ अवधि के बावजूद ऋण जारी रखते हैं, उनके लिए पूर्व-भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल लेंडिंग संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जिम्मेदार बिज़नेस आचरण) निर्देश, 2025 के चैप्टर III के अनुसार जारी रहेगी।
- 8) ऋण समझौते की निष्पादित/स्वीकृत प्रति ग्राहक को स्वागत पत्र/ई-मेल के साथ संलग्नक के रूप में या ऋण वितरण के बाद भेजी जाएगी।
- 9) कंपनी के नाम का उपयोग करके किसी भी धोखाधड़ी/संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर, ग्राहक को तुरंत 'जीआरओ' को सूचित करना होगा और अपने सचेत पोर्टल (<https://sachet.rbi.org.in>) का उपयोग करके आरबीआई को ऐसे प्लेटफॉर्म/ऐप की रिपोर्ट भी करनी होगी।
- 10) ग्राहक को एफपीसी के अनुसार ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र के साथ संवाद किया जाएगा।

नोट: ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम स्तर का दृष्टिकोण संबंधित डिजिटल लेंडिंगदाता भागीदारों द्वारा किया जाएगा।

- 11) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के पास उधारकर्ताओं द्वारा उठाए गए फिनटेक/डिजिटल लेंडिंग संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होगा और वे अपने संबंधित डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के खिलाफ शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। इसके अलावा, शिकायत निवारण अधिकारियों के संपर्क विवरण कंपनी, उसके एलएसपी और डीएलए की वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 12) कंपनी ऋण स्वीकृति के समय उधारकर्ता से संपर्क करेगी। इसके अलावा, रिकवरी की जिम्मेदारी एलएसपी को सौंपते समय या रिकवरी के लिए जिम्मेदार एलएसपी में बदलाव करते समय, रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एलएसपी का विवरण (जो उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत है) उधारकर्ता को पहले ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, फिर रिकवरी एजेंट द्वारा उधारकर्ता से रिकवरी के लिए संपर्क किया जाएगा।
- 13) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स DLA और LSP भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – क्रेडिट सुविधा) निर्देश, 2025 के चैप्टर III और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के चैप्टर VI के अनुसार समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ से संबंधित प्रावधानों का पालन करें।
- 14) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके एलएसपी अपनी वेबसाइट पर उन पोर्टफोलियो की कुल संख्या और प्रत्येक पोर्टफोलियो की संबंधित राशि प्रकाशित करें, जिन पर डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) की पेशकश की गई है। यह प्रकटीकरण मासिक आधार पर किया जाएगा, और किसी भी दिए गए महीने के लिए प्रकाशन उस महीने की समाप्ति के बाद सात (7) कार्यदिवसों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।
- 15) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि लोन अनुबंध/लेनदेन के निष्पादन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज (कंपनी के लेटर हेड पर) जैसे केएफएस, लोन उत्पाद का सारांश, स्वीकृति पत्र, नियम और शर्तें, खाता विवरण, उधारकर्ताओं के डेटा के संग्रहण और उपयोग के संबंध में कंपनी/एलएसपी की गोपनीयता नीतियां आदि, उधारकर्ता को पंजीकृत और सत्यापित ईमेल/एसएमएस पर ऑटोमेटिक रूप से भेजे जाएं।

ध्यान दें: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

- 16) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वे और उनके द्वारा नियोजित एलएसपी, डिजिटल लेंडिंग देने के लिए आरबीआई और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा पर विभिन्न तकनीकी मानकों/आवश्यकताओं का अनुपालन करें, या जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 17) 17) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लोन सेवा, पुनर्भुगतान आदि उधारकर्ता द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में किए जाएं और बिना किसी थर्ड पार्टी के पास-थ्रू खाते/पूल खाते के किए जाएं, जिसमें LSP के खाते भी शामिल हों, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि LSP को देय कोई भी फीस, शुल्क, प्रतिपूर्ति आदि सीधे कंपनी द्वारा ही भुगतान किए जाएं और उन्हें उधारकर्ताओं से अलग से LSP द्वारा रिकवर या चार्ज न किया जाए। 18) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके डीएलए और उनके एलएसपी के डीएलए द्वारा डेटा का कोई भी संग्रह आवश्यकता-आधारित हो और ऑडिट ट्रेल वाले उधारकर्ता की पूर्व और स्पष्ट सहमति ली जाए। किसी भी स्थिति में, कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कंपनी/एलएसपी के डीएलए फाइल और मीडिया, संपर्क सूची, कॉल लॉग, टेलीफोनी फंक्शन आदि जैसे मोबाइल फोन संसाधनों तक पहुंचने से बचें। कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या ऑन-बोर्डिंग/केवाईसी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सुविधा के लिए, उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति से, एक बार के लिए एक्सेस ली जा सकती

है।19) कंपनी और उसके LSPs के पास लागू कानूनों, संबंधित नियमों तथा RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक व्यापक गोपनीयता नीति होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार कंपनी और LSP की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।20) ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की डेटा गोपनीयता, संग्रहण और सुरक्षा के संबंध में निरंतर जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

21) ऐसे मामलों में, जहाँ किसी LSP के डिजिटल लेंडिंग के लिए एक से अधिक उधारदाताओं के साथ समझौते हों, कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

(1) LSP, DLA पर उधारकर्ता के अनुरोध के अनुरूप सभी उपयुक्त ऋण प्रस्तावों का एक डिजिटल व्यू प्रदान करेगा, जो उधारकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इसके साथ ही, जिन उधारदाताओं के प्रस्ताव उधारकर्ता की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते, उनके नाम भी इस डिजिटल व्यू में प्रकट किए जाएंगे।

(2) हालाँकि LSP उधारकर्ताओं के अनुरोधों को उधारदाता/उधारदाताओं से मिलाने और ऋण प्रस्ताव देने के लिए कोई भी तंत्र अपना सकता है, लेकिन वह समान परिस्थितियों वाले उधारकर्ताओं और उत्पादों के लिए एक समान एवं सुसंगत दृष्टिकोण अपनाएगा। LSP द्वारा अपनाया गया तंत्र तथा उसमें किए गए किसी भी बाद के परिवर्तन का उचित रूप से दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा।

(3) मेल खाते हुए उधारदाताओं द्वारा दिए गए ऋण प्रस्तावों का डिजिटल व्यू इस प्रकार की जानकारी शामिल करेगा, जिससे उधारकर्ता अलग-अलग प्रस्तावों की निष्पक्ष तुलना कर सके। इसमें ऋण प्रस्ताव देने वाले उधारदाता/उधारदाताओं के नाम, ऋण की राशि और अवधि, APR, मासिक पुनर्भुगतान दायित्व तथा दंडात्मक शुल्क (अगर लागू हो) शामिल होंगे। इसके अलावा, प्रत्येक उधारदाता के संबंध में KFS का लिंक भी प्रदान किया जाएगा।

(4) LSP द्वारा दिखाई गई सामग्री निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव होगी और किसी विशेष उधारदाता के उत्पाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने या थोपने के उद्देश्य से नहीं होगी। इसमें ऐसे डार्क पैटर्न/भ्रामक पैटर्न का उपयोग भी शामिल नहीं होगा, जो उधारकर्ताओं को किसी विशेष ऋण प्रस्ताव को चुनने के लिए गुमराह करने हेतु बनाए गए हों। हालाँकि, ऋण प्रस्तावों की रैंकिंग यदि उसके लिए सार्वजनिक रूप से पूर्व-प्रकट किए गए मानदंड के आधार पर की जाती है, तो इसे किसी विशेष उत्पाद का प्रचार करना नहीं माना जाएगा।

ध्यान दें: डार्क पैटर्न का वही मतलब होगा जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर, 2023 को जारी डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश 2023' के सेक्शन 2(e) में बताया गया है, और जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।